प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए विधान सभा मार्ग,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सख्या:–एस.पी.एम.यू. / कम्यू0प्रो0. / आशा / 2009–10 / 11 / 1488-72 दिनांक–29.06.2011

विषय :–आशा द्वारा कार्य छोड़ कर चले जाने की स्थिति में, नवीन आशा के चयन के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशा योजना अगस्त 2005 से आरम्भ की गयी थी ओर योजना के क्रियान्वयन को लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं। राज्य स्तर पर आयोजित कार्यशालाओं, विभिन्न कार्यक्रम अधिकारियों से चर्चा, क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान आशाओं से वार्ता, तथा जनपदों से प्राप्त फीड बैक के आधार पर ज्ञात हुआ है कि लगभग 7–8 प्रतिशत आशायें कतिपय कारणों से क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहीं हैं। कार्य न करने वाली आशाओं के विषय में शासनादेश संख्या एस.पी.एम.यू. / कम्यू0प्रो0 / आशा / 2009–10 / 11 / 1400–71 दिनांक 25.01.2010 एवं एस.पी.एम.यू. / कम्यू0प्रो0 / आशा / 2009–10 / 11 / 10835–71 दिनांक 27.07.2010 द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

2. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेशों के अनुक्रम में कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाय।

1– जनपद में लगभग 7–8 प्रतिशत ही आशायें कार्य छोड़कर चली गयी होगीं या कार्य नहीं कर रही होंगी। कार्य छोड़कर चली गयीं आशा से लिखित रूप में ले लिया जाय कि वह कार्य छोड़कर चली गयी है और अब कार्य करने की इच्छुक नही है। आशा के इस लिखित प्रारूप पत्र को क्षेत्रीय ए0एन0एम0 द्वारा सत्यापित किया जाय। तदोपरान्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर पत्र की प्रति सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पत्रावली में सुरक्षित रखी जाये। प्रत्येक विकास खण्ड से इस तरह की आशाओं की सूची तैयार कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त कराई जाय और इस पर जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन करा कर नई आशाओं के चयन की कार्यवाही बिन्दु सं0 3 में दिये गये निर्देशानुसार की जाय।

2– जो आशायें ए0एन0एम0 / स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के सहयोग न मिलने के कारण कार्य नहीं कर रही हैं अथवा आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवार से हैं और कार्य करने की इच्छुक नहीं हैं, ऐसी स्थिति में निम्न लिखित कार्यवाही की जानी है–

- स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी द्वारा आशाओं / ए0एन0एम0 की बैठक में प्रतिभाग कर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से इस समस्या का निराकरण कराया जाय। आशाओं के क्षेत्र में जा कर उनको कार्य करने के लिये प्रेरित भी किया जाय।
- सुधार न होने की दशा में प्रधान को पत्र द्वारा सूचित किया जाय कि अमुक आशा कार्य नहीं कर रही है। इस तथ्य को आपके संज्ञान में भी लाया जाय।
- पत्र निर्गत होने के 15 दिन के उपरान्त, आशा कार्य में सहयोग न करे तो उसके स्थान पर नयी आशा के चयन की कार्यवाही निम्नलिखित निर्देशानुसार की जाय।
- समस्त कार्यवाही पत्रावली में सुरक्षित रखी जाय।

3– नई आशा के चयन के लिये शासनादेश संख्या 1722/5–9–2005–9(277)/84 दिनांक 23.08.2005 में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाय। पूर्व में प्रधान द्वारा 3 महिलाओं के नामों में सर्वश्रेष्ठ महिला को आशा के रूप में चयन किया गया था। अतः या तो पहले प्राप्त 3 नामों की सूची में से दूसरी महिला को अवसर दिया जाय अथवा ए0एन0एम0 अपने क्षेत्र में समूह बैठक कर 3 इच्छुक महिलाओं की नई सूची प्रधान को उपलब्ध करायें। प्रधान, ''ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति'' की बैठक आयोजित कर सर्वश्रेष्ठ महिला को आशा के रूप में चयन कर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें। प्रधान द्वारा चयन की कार्यवाही के प्रस्ताव की प्रति को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आडिट/जॉच के लिये पत्रावली में सुरक्षित रखी जाय।

4– पत्र की प्रति समस्त सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी अधिकारियों को एक सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त करा दी जाय। नवीन चयनित आशाओं का पूर्ण विवरण तथा की गयी कार्यवाही जिला स्वास्थ्य समिति को अवगत कराया जाय तथा नवीन चयनित आशाओं की सूची पर माह जुलाई 2011 तक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। जिला आशा नोडल अधिकारी/जिला कम्यूनिटी मोबिलाईज़र,ब्लॉकवार अनुमोदित सूचना को दिनांक 7.08.2011 तक महानिदेशक, परिवार कल्याण तथा महाप्रबन्धक, कम्यूनिटी प्रोसिस,एन0आर0एच0एम0 को भेजना सुनिश्चित करेंगे। सूचना प्राप्त होने के उपरान्त नवीन आशाओं के 23 दिन के प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि तथा दिशा निर्देश भेजे जायेंगे।

भवदीय

o/c (मोहम्मद मुस्तफ़ा)
मिशन निदेशक

पत्र सख्याः–एस.पी.एम.यू./कम्यू0प्रो0./आशा/2009–10/11/1488-72-8 दिनांक–29.06.2011

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक,परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0लखनऊ।
4. निदेशक एम.सी.एच. परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला कम्यूनिटी मोबिलाईज़र उत्तर प्रदेश।
8. निजी सचिव,प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0शासन।

(लोकेश कुमार)
o/c महाप्रबन्धक(प्रशासन)